न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रक0क्र0</u>—592 / 2012

संस्थित दिनाँक-30.07.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मौं

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- 1. संतोष पुत्र नाथूराम जमादार उम्र 32 साल
- 2. बेताल पुत्र छोटेलाल जमादार उम्र 48 साल
- 3. प्रकाश पुत्र नाथूराम जमादार उम्र 53 साल
- 4. झण्डू पुत्र छोटेलाल जमादार उम्र 43 साल निवासीगण उझावल थाना मौं जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

_<u>-ः निर्णय ः-</u> {आज दिनांक 27.12.17 को घोषित}

अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323/34, 324/34, 427 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 29.06.12 को दिन के 2 बजे फरियादी का घर ग्राम उझावल सार्वजनिक स्थान पर फरियादी एवं उसके भाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व उप0 जनसमूह को क्षोभकारित किया, सामान्य आशय के अग्रशरण में फरि0 गिरजा व आहत दिनेश की मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहित कारित की, राजेश को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहित कारित की तथा राजेश की मोटरसाईकिल में तोडफोड कर कुल 1500 रूपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की।

02. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 29.06.12 को दिन के करीब 2 बजे फरियादी गिरजा अपने भाईयों राजेश एवं दिनेश के साथ अपने मायके ग्राम उझावल आई थी। जब अपने पित पप्पू उर्फ प्रकाश के पास पहुंची तो वह फरियादी के भाईयों को गाली गलौंच करने लगा और फरियादी को ले जाने को कहा तो वह बोली कि यही रहेगी। इसी बात पर अभियुक्त ने उसके सिर में लाठी मारी तो खून निकल आया और भी लाठियां मारी जिससे चोट आई। भाई राजेश व दिनेश बचाने आए तो संतोष ने एक लाठी राजेश के सिर में मारी जिससे खून निकल आया। एक

लाठी झण्डू ने दिनेश को मारी जिससे दिनेश के बांए हाथ में मुदी चोट आई। बेताल ने फरियादी को लातघूंसों से मारपीट की। झगड़े में भाई की मोटरसाईकिल का साईड गिलास एवं लाईट का कांच टूट गया। उक्त आशय की सूचना से अदम चैक लेख की गयी। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आहत को धारदार वस्तु से चोट होने के संबंध में चिकित्सक द्वारा लेख किए जाने से अप०क0 149/12 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 03. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा रंजिशन झूंठा फंसाया जाना बताया।
- 04. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
 - 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 29.06.12 को दिन के 2 बजे फरियादी का घर ग्राम उझावल सार्वजिनक स्थान पर फरियादी एवं उसके भाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व उप0 जनसमूह को क्षोभकारित किया ?
 - 2. क्या उक्त दिनांक व समय पर गिरजा, दिनेश व राजेश को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हॉ तो उनकी प्रकृति क्या थी ?
 - 3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरि० गिरजा व आहत दिनेश की मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की ?
 - 4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में राजेश को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
 - 5. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने राजेश की मोटरसाईकिल में तोडफोड कर कुल 1500 रूपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की ?

<u>—ःः सकारण निष्कर्ष ::—</u>

05. अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादी डा० आर० विमलेश अ०सा० 1, गिरजा अ०सा० 2, दिनेश अ०सा० 3, राजेश अ०सा० 4, चंदन अ०सा० 5, निहालसिंह अ०सा० 6, रणवीरसिंह अ०सा० 7 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक1 का सकारण निष्कर्ष//

- 6. फरियादी गिरजा अ०सा० 2 यह कथन करती है कि साक्ष्य से 5 साल पहले दिन के 2-2:30 बजे की बात है वह अपने मायके बरेटा से ससुराल उझावल आई थी। उसके पित ने उसके भाईयों को मादरचोद बहनचोद की गाली देने लगा और कहने लगा कि यहां क्यों लेकर आए हो, यहां नहीं रखूंगा तो फरियादी ने कहािक वह क्यों जाए, वह तो अपने घर रहेगी। इसके बाद अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने का कथन करती है। साक्षी घटना के संबंध में थाना मी में जाकर अदम चैक प्र०पी० 4 लेख कराए जाने का कथन करती है। दिनेश अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि जब वे अपनी बहन गिरजा और भाई राजेश के साथ गिरजा की ससुराल उझावल उसे छोड़ने गए तो उसके जीजा प्रकाश ने उसे, उसके भाई व बहनों को मादरचोद बहनचोद की गालियां दी जो सुनने में बुरी लगी। फिर प्रकाश बोला कि तुम यहां गिरजा को क्यों लेकर आए हो इसे वापस ले जाओ तो गिरजा ने कहािक वह उसी के साथ रहेगी क्योंकि उसकी पत्नी हैं। इसके बाद यह साक्षी भी मारपीट किए जाने का कथन करते हैं। राजेश अ०सा० 4 भी इसी प्रकार से अपने अभिसाक्ष्य में गिरजा अ०सा० 2 एवं दिनेश अ०सा० 3 के समान ही घटना का कथन करता है। प्रकरण में घटना का कथित चक्षदर्शी चंदन अ०सा० 5 पक्षद्रोही हो गया है और मामले का कोई समर्थन नहीं करता है।
- 7. प्रकरण में फिरियादी गिरजा अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में यद्यपि मादरचोद बहनचोद की गाली देने का कथन करती है किन्तु कथित गाली सुनकर उसे बुरा लगा हो अथवा क्षोमकारित हुआ हो, ऐसा कोई कथन नहीं करती। जबिक दिनेश अ0सा0 3 एवं राजेश अ0सा0 4 अभियुक्त प्रकाश द्वारा गंदी गंदी गालियां दिए जाने और दिनेश अ0सा0 3 उक्त गाली सुनने में बुरी लगने का भी कथन करते हैं। घटना के उपरांत प्र0पी0 4 की अदम चैक लेख कराई गयी है जिसके संबंध में निहाल सिंह अ0सा0 6 कथन करते हैं कि उन्होंने उक्त रिपोर्ट के आधार पर बाद में प्राथमिकी अप0क0 149/12 पर पंजीबद्ध की थी। साक्षी रणवीरसिह अ0सा0 7 अपने अभिसाक्ष्य में देहाती नालिसी प्र0पी0 4 उनके द्वारा ही लेख किए जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से प्रकरण में फिरियादी के कथनों की पुष्टि साक्षीगण ने की है तथा वह प्र0पी0 4 व प्र0पी0 12 के दस्तावेजों से भलीभांति समर्थित होकर प्रमाणित है। अभियुक्त प्रकाश के विरूद्ध संहिता की धारा 294 का अपराध प्रमाणित है, शेष आरोपीगण के संबंध में संहिता की धारा 294 के संबंध में कोई भी तथ्य अभियोजन साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त प्रकाश को संहिता की धारा 294 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 2 का सकारण निष्कर्ष//

8. प्रकरण में फरियादी गिरजा अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में बताती हैं कि जब उसने कहाकि वह अपने घर अर्थात ससुराल रहेगी तो उसके पति अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रकाश ने लाठी मारी जो कि उसे सिर में लगी और खून निकलने लगा और भी लाठी शरीर में लगी। भाई राजेश बचाने आया तो उसे झण्डू ने लाठी मारी और दिनेश को भी मारी। दिनेश के हाथ और राजेश के सिर में चोट आने का कथन करती है। बेताल द्वारा उसे लातघूसों से मारपीट करने का भी कथन करती है। दिनेश अ0सा0 3 इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि गिरजा को लाठी मारी जो सिर में लगी, जब वह बचाने गया तो झण्डू ने लाठी मारी जो बांए हाथ के पंजे में लगी। जब भाई राजेश बचाने गया तो उसे संतोष ने लाठी मारी जो उसके सिर में लगी। झण्डू एवं बेताल द्वारा लातघूंसों से गिरजा की मारपीट किए जाने क कथन करता है। राजेश अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में बहन गिरजा को सिर में प्रकाश द्वारा लाठी मारने, स्वयं उसे संतोष द्वारा सिर में लाठी मारने एवं दिनेश द्वारा झण्डू को हाथ में लाठी मारने का कथन करते हैं, बेताल द्वारा गिरजा को लातघूंसों से मारपीट करने का भी कथन करते हैं। इस प्रकार से आहतगण द्वारा उन्हें चोटें कारित होने के संबंध में परस्पर संपुष्टकारी साक्ष्य प्रस्तुत की है।

9. फरियादी गिरजा अ0सा0 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि दूसरे दिन उसने थाना मौ में जाकर रिपोर्ट की थी, तत्पश्चात् पुलिस ने उनकी चोटों की डाक्टरी कराई थी। डा0 आर0 विमलेश अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते हैं कि दिनांक 30.06.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में वे मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उनके साथ डा0 हरीश हाशवानी भी मेडीकल आफीसर के रूप में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना मौ के सैनिक अर्जुनसिंह द्वारा मेडीकल परीक्षण हेतु आहतगण गिरजा, राजेश एवं दिनेश को लाए जाने पर डा0 हाशवानी ने उनका चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसमें निम्न चोटें पाई थी—

आहत गिरजा की चोटें-

- 1. खरोंच डेढ ग्णा डेढ सेमी० बांयी ओर सिर में थी।
- 2 ए. नील निशान 4 गुणा 3 सेमी0 बांयी भुजा पर था।
- 2 बी. कंट्रजन बांयी भुजा पर 5 गुणा ढाई सेमी0 था।
- 3. कंट्रजन 6 गुणा 5 सेमी0 आकार का दाहिनी भुजा पर था।
- 4. कंट्रजन 1/2 सेमी० गुणा 1/2 सेमी० बांए घुटने पर बाहर की ओर था।
- 4ए. खरोंच 2 गुणा 2 सेमी0 बांए पैर पर थी।
- 4बी. कंट्रजन 4 गुणा 2 सेमी0 दाहिनी तरफ साथ में कडापन था।
- 4सी. नील निशान 2 गुणा 1/2 सेमी0 बांए आंख के नीचे था।

आहत राजेश को चोटें-

1. एक कटा हुआ घाव 2 गुणा 1/4 सेमी० गुणा चमडी की गहराई तक सिर में था।

आहत दिनेश को चोटें-

- 1. सूजन 1 गुणा 1 सेमी० बांए हथेली के पृष्ठ भाग पर थी साथ में कडापन था। डा० हरीश हाशवानी द्वारा उक्त आहतों में से आहत राजेश को पाई गयी चोट धारदार हथियार से प्रतीत होने शेष सख्त व भौथरी वस्तु से कारित होने के संबंध में अपनी राय लेखकर चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी० 1 लगायत 3 निष्पादित किए जाने और उन पर ए से ए भाग पर डा० हरीश हाशवानी के हस्ताक्षर होने का कथन किया है।
- 10. डा० आर० विमलेश अ०सा० 1 द्वारा प्र०पी० 1 लगायत 3 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट धारा 47 के अधीन हस्ताक्षर व हस्तिलिप से परिचित साक्षी के रूप में अपनी सुसंगत राय देकर प्रमाणित किया है। प्र०पी० 1 लगायत 3 के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित दिनांक 30.06.12 को दोपहर 1.25 से 1:43 बजे तक लेख किया गया है जो कि घटना के समय से 24 घण्टे के अंदर का है एवं चिकित्सक द्वारा प्र०पी० 1 लगायत 3 में आहतगण को कारित चोटें परीक्षण की अवधि से 24 घण्टे के भीतर की होने की सुसंगत राय दी है। ऐसी दशा में आहतगण के कथन में बताई गयी चोटें चिकित्सीय साक्ष्य से अभिपुष्ट हैं। प्रकरण में स्वयं अभियुक्तगण की ओर से आहतगण को कारित चोटों को कोई चुनौती नहीं दी गयी है, बल्कि उक्त आहतगण एवं चिकित्सक को सुसंगत घटना दिनांक को सडक दुर्घटना में चोटें कारित होने का सुझाव दिया गया है। इस प्रकार से प्रकरण में विधिवत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से आहतगण गिरजा, राजेश व दिनेश को चोटें कारित होना प्रमाणित है। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना हैं कि क्या आहतगण को कारित चोटें अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में स्वेच्छा कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न कमांक-3 व 4 का सकारण निष्कर्ष//

11. प्रकरण में तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न हुई परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उक्त विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। फरियादी गिरजा अ०सा० 2 अपने अभि साक्ष्य में स्पष्ट कथन करती है कि जब उसके पित ने कहाकि वह फरियादी को नहीं रखेगा तो फरियादी ने कहाकि वह तो अपने घर रहेगी इसी बात पर उसके पित ने उसको सिर में लाठी मारी। इसके अतिरिक्त वह बेताल द्वारा भी लातघूंसों से उसकी स्वेच्छा मारपीट करने का कथन करती है, शेष अभियुक्तगण द्वारा आहत राजेश एवं दिनेश को लाठी मारने का कथन किया गया है। दिनेश अ०सा० 3 एवं राजेश अ०सा० 4 ने भी फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए इसी प्रकार से अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छा उपहित्त कारित करने के संबंध में कथन किया है। घटना के संबंध में फरियादी गिरजा द्वारा दूसरे दिन थाना मौ में जाकर अदम चैक प्र०पी० 4 लेख कराया जाने का कथन किया है, साक्षी द्वारा ए से ए भाग की अदम चैक पढ़कर सुनाए जाने पर वैसी ही अदम चैक लिखाए जाने का कथन किया है।

12. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लिया गया है कि उनके विरुद्ध फिरियादी रंजिशन कथन करती है। जहां गिरजा अ0सा0 2 से प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया कि उसके घरवाले प्रकाश से पैसे मांगते थे और न देना पड़े इस कारण उसने मुकदमा किया है जबिक दूसरी ओर आहत दिनेश अ0सा0 3 एवं राजेश अ0सा0 4 को यह सुझाव दिया गया कि गिरजा अपनी मर्जी से अभियुक्त प्रकाश के साथ नहीं रहती थी इस कारण से उनके विरुद्ध झूंठा मामला बनाया है। इस प्रकार से स्वयं अभियुक्तगण की ओर से लिया गया बचाव ही स्वयं विरोधाभासी है। प्रकरण में आहतगण को मोटरसाईकिल से दुर्घटना में चोटें आने के सबंध में सुझाव दिया गया तो आहतगण ने अभिकथित सुझाव से इंकार किया है। ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि कथित रूप से आहतगण को दुर्घटना में चोटें कारित होने के संबंध में तथ्य की पुष्टि करता हो। उनके शरीर पर चोटें पुनः प्रमाणित हैं ऐसी दशा में वे आहतगण हैं और आहतगण की साक्ष्य दांडिक विधि में अधिक महत्व रखती है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि —

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध 13. में न्यायदृष्टांत Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552: (2011)7 SCC 421 भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया-**"21**. The evidence of the stamped witness must be given due weightage as his presence on the place of occurrence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present at the time of occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is accorded a special status in law. Such a witness comes with a built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. "Convincing evidence is required to discredit an injured witness". Thus, the evidence of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide: Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259: (AIR 2011 SC (Cri) 964: 2010 AIR SCW 5701); Kailas and Ors. v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 793: (AIR 2011 SC 598); Durbal v. State of Uttar Pradesh, (2011) 2 SCC 676: (AIR 2011 SC 795: 2011 AIR SCW 856); and State of U.P. v. Naresh and Ors., (2011) 4 SCC 324: (AIR 2011 SC (Cri) 761: 2011 AIR SCW 1877)). Resently Followed in: Narender Singh and others v. State of Madhya Pradesh 2015(11) SCALE 557: JT 2015 (9) SC 435"

- 14. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण को अपराध में असत्य रूप से लिप्त किया गया है। किन्तु असत्य रूप से लिप्त किए जाने के संबंध में कोई भी सारवान विश्वसनीय आधार प्रकट नहीं किया है। ऐसे में अभियुक्तगण का बचाव मात्र कल्पना आधारित होना प्रतीत हो रहा है। जहां आहतगण को चोटें प्रमाणित है जो स्वेच्छा कारित नहीं की जा सकती हैं।
- 15. े जहां तक फरियादी एवं आहत के कथन में विरोधाभास का तर्क प्रस्तुत किया है तो उसके कथन में कथित विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं। न्यायदृष्टांत <u>योगेशसिंह विरूद्ध महावीरसिंह व</u> अन्य एआईआर 2016 एस0सी0-5160 : जे0टी0 2016 (10) एस0सी0 332 : 2016 (4) सीसीएससी 1876 की कण्डिका 29 में मान0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ''विधि में सुस्थापित है कि कुछ असंगतताओं को महत्व प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और साक्ष्य पर विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या वह न्यायालय के मस्तिष्क में विश्वास उत्पन्न करता है। यदि साक्ष्य असाधारण है और प्रज्ञा के परीक्षण के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह अभियोजन कथन में कमी सृजित कर सकता है। यदि कोई लोप या असंगगता मामले की तह तक जाती है और विषमताओं को प्रविष्ट करती है, तो प्रतिरक्षा ऐसी असंगतियों का लाभ ग्रहण कर सकता है। यह अभिकथित करने के लिए किसी विशेष प्रबलता की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक लोप तात्विक लोप का स्थान नहीं ले सकता इसलिए कुछ असंगतियां, विषमताएं या महत्वहीन अलंकरण अभियोजन के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते और अभियोजन साक्ष्य को नामंजूर करने के लिए आधार रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। लोप को साक्षी की विश्वसनीयता या विश्वास योग्यता के बारे में गंभीर संदेह सृजित करना चाहिए। केवल गंभीर पारस्परिक विरोध और लोप ही, तात्विक रूप से अभियोजन के मामले को प्रभावित करते हैं किन्तु प्रत्येक परस्पर विरोध या लोप नहीं।" इस मामले में फरियादी गिरजा असा0 2 एवं दिनेश ATTENDED TO अ०सा० ३ व राजेश असा० ४ की साक्ष्य पर न्यायालय के समक्ष अविश्वास हेतु युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं हैं।

16. प्रकरण में संहिता की धारा 324 के अधीन आरोप विरचित है जिसके संबंध में डॉक्टर आर0 विमलेश असा0 1 ने आहत राजेश को कारित चोट किसी धारदार हथियार से सिर में कारित होने के संबंध में संभावना प्रकट की है। फरियादी गिरजा अ0सा0 2 तथा अन्य आहत दिनेश अ0सा0 3 व राजेश अ0सा0 4 ने अभियुक्तगण के पास किसी धारदार या घातक हथियार के होने व प्रयोग करने के संबंध में कथन नहीं किया है। स्वयं आहत राजेश ने उसे अभियुक्त संतोष द्वारा सिर में लाठी मारने के संबंध में कथन किया है। अभियुक्तगण से कोई धारदार हथियार जब्द भी नहीं हुआ है। यह तथ्य चिकित्सीय विधि में प्रायः सामान्य है कि सिर में आई चोट यद्यपि शख्त व भोधरी वस्तु से आई हो किंतु उसका प्रभाव आयु, लिंग, उपहित कारित करने के लिए लगाया गया दबाव आदि पर निर्भर होता है ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि धारदार वस्तु से कारित की हो। जहां किसी धारदार वस्तु, असन, वेधन, काटने वाली वस्तु आदि से चोट कारित न की गयी हो तो ऐसी दशा मे संहिता की धारा 324 का अपराध गठित न होते हुए धारा 323 का अपराध गठित होगा।

<u>//विचारणीय प्रश्न कमांक 5//</u>

- 17. प्रकरण में फरियादी गिरजा अ०सा० 2 यह कथन करती हैं कि संतोष ने उसके भाई राजेश की गाड़ी तोड़ दी थी। यही कथन दिनेश अ०सा० 3 ने किया है, जबिक आहत राजेश अ०सा० 4 यह कथन करता है कि आरोपीगण ने उसकी मोटरसाईकिल तोड़ दी थी जिससे साईड का कांच टूट गया था, नुकसानी पंचनामा प्र०पी० 6 बनाए जाने का कथन करते हुए उक्त नुकसानी पंचनामा पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। रणवीरसिंह अ०सा० 7 अनुसंधानकर्ता है जो कि अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 19.07.12 को ही राजेश की गाड़ी का नुकसानी पंचनामा प्र०पी० 6 बनाया था जिस पर उनके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर हैं। प्र०पी० 6 के दस्तावेज के अनुसार राजेश की मोटरसाईकिल में 1500 रूपये का नुकसान होने के संबंध में तथ्य लेख किया गया है। चूंकि अभियुक्तगण के द्वारा प्र०पी० 6 के नुकसानी पंचनामा के अनुसार 1500 रूपये की संपत्ति की क्षति कारित की गयी जिसके संबंध में प्र०पी० 4 की अदम चैक एवं अन्य दस्तावेजों में भी उल्लेख किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 427 का आरोप भी प्रमाणित पाया जाता है।
- 18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त प्रकाश ने दिनांक 29.06.12 को दिन के 2 बजे फरियादी का घर ग्राम उझावल सार्वजिनक स्थान पर फरियादी एवं उसके भाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व उप0 जनसमूह को क्षोभकारित किया, सभी आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरि0 गिरजा व आहत दिनेश, राजेश की मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहित कारित की तथा राजेश की मोटरसाईकिल में तोडफोड कर कुल 1500 रूपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की। अतः

अभियुक्त प्रकाश को संहिता की धारा 294, सभी अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323/34 तीन काउण्ट, 427 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है, अभियुक्तगण को संहिता की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 19. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।
- 20. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थिगत किया जाता है।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्चः

- 21. अभियुक्तगण एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के ग्रामीण परिवेश के मजदूर होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।
- 22. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्तगण की घटना के समय परिपक्व आयु के थे। साथ ही प्रकरण में अभियुक्तगण को लगभग पांच वर्ष के विचारण का सामना करने का तथ्य भी विचार योग्य है। फरियादी व आहतगण अभियुक्तगण के रिश्तेदारी में आते हैं। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दंडित न करते हुए उन्हें शिक्षाप्रद दण्ड से दंडित किया जाना न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायोचित पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323/34 तीन काउंट के अधीन 3–3 माह की अवधि के साधारण कारावास एवं 100–100 रूपये अर्थदण्ड प्रत्येक काउंट के संबंध में एवं संहिता की धारा 427 के अधीन एक माह का साधारण कारावास एवं 200–200 रूपये अर्थदण्ड (प्रत्येक अभियुक्त पर 500–500 रुपये अर्थदण्ड) साथ ही अभियुक्त पण्णू उर्फ प्रकाश को संहिता की धारा 294 के अधीन एक माह के साधारण कारावास व 200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को एक–एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्तगण की सभी सजाएं एक साथ भुगताई जावे। अभियुक्तगण द्वारा निरोध में यदि कोई अवधि व्यतीत की गयी हो तो वह दी गयी सजा से मुजरा की जावे।
- 23. अभियुक्तगण से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी / आहत गिरजा पत्नी पप्पू उर्फ प्रकाश जमादार निवासी उझावल थाना मौ जिला भिण्ड, दिनेश पुत्र रामलाल

जमादार तथा राजेश पुत्र रामलाल जमादार निवासीगण ग्राम बरेथा थाना दिमनी जिला मुरैना को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दप्रस की धारा 357–1 ख के अधीन 500–500 / – रूपये (पांच–पांच सौ रूपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

- 24. प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति कुछ नहीं।
- 25. निर्णय की एक–एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।
- 26. अभियुक्तगण की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रसं0 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

 निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

 हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

 कर घोषित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ALIMANA PAROLES SUNT